

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 11 अ-82/15-16 भू-अर्जन/1574

बैतूल दिनांक 13/02/2018

ईशतहार

म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश की स्वीकृति से नगरपालिका परिषद् मुलताई को हरदोली जल अवर्धन योजना के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण चैनपुर प.ह.न. 55 तहसील-मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नंबरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

अ.क्र.	खसरा नं.	रकबा हे.में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	265	0.466	0.466	संतोषराव, रूपराव, वामनराव वल्द गुलाबराव, चिन्धी, जैनू पिता गुलाबराव, मंजुरा पिता देवराव कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
2	260	1.546	1.546	यादोराव वल्द देवबा, नथ्थया वल्द आनंदराव, पारबती बेवा आनंदराव, गणवंतराव, विनायकराव वल्द नत्थू निर्मला उर्मिला पिता नत्थू बुगा बेवा नत्थू जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	266	0.405	0.405	
	267	0.166	0.100	
	279	0.684	0.684	
3	268/1	0.101	0.025	प्रेमराव, नामदेव वल्द गेंदराव, बहेना उर्फ माला निर्मला, उर्मिला उर्फ आशा पिता गेंदराव, जाति कुन्बी सा.पारडसिंगा भूमि स्वामी
	269/1	0.144	0.144	
4	264	0.421	0.110	बंडु, बाबूराव, रामराव, वल्द नत्थू सकु, कला पिता नत्थू चिन्धी-बेवा नत्थू जाति कुन्बी पता सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी
5	272	0.336	0.200	यादोराव वल्द देवबा कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
	276	1.137	1.137	
6	281	0.801	0.801	इठोबा व. बाल्या, येनु, जिज्या, करुणा, मेनू पिता लुंगा, मैना बेवा लूगा जाति कुन्बी संतोषराव, रूपराव, वामनराव वल्द गुलाबराव, चिन्धी, जैनू पिता गुलाबराव, जाति कुन्बी सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी
7	261	2.703	1.000	सन्तोषराव, रूपराव, वामनराव वल्द गुलाबराव, चिन्धी, जैनू पिता गुलाबराव, सा. देह भूमि स्वामी
योग			6.618	

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम चैनपुर तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल 6.618 हे. भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयवधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।



(शशांक मिश्र) 13/02  
कलेक्टर  
जिला बैतूल (म.प्र.)

पृ0क0 11 अ-82/वर्ष 16-17/भू-अर्जन/1574 बैतूल दिनांक<sup>13</sup>-02-2018  
प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश एवं स्थानीय समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट **WWW betul.nic.in** पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 3- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) मुलताई की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 5- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 7- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चैनपुर तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

  
कलेक्टर,  
बैतूल